20 Rs. COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

निग/2843/II/15

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

255
10-7-15

अंजनी कुमार मिश्रा तनय भागीरथी मिश्रा, निवासी ग्राम भैंसरहा, तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी (म0प्र0) ----**निगरानीकर्ता**

बनाम्

1. बाबूलाल तनय गंगा चर्मकार
2. सुखलाल तनय गंगा चर्मकार

दोनों निवासी ग्राम भैंसरहा, तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी (म0प्र0) ----**गैर निगरानीकर्तागण**

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 10.06.2015 जो न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 9/निगरानी/2002-03 मे पारित किया गया।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

श्री प्रमोद कुमार मिश्रा एड के द्वारा आज दिनांक 10-7-15 को प्रस्तुत किया गया। रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

मान्यवर,

निगरानी के आधार उल्लिखित करने के पूर्व प्रकरण के कुछ प्रमुख तथ्यों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है, जो तथ्य निम्नलिखित हैः-

1. यह कि वादग्रस्त आराजी नं-962 रकवा 0.023 हेक्टेयर स्थित ग्राम भैंसरहा तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी निगरानीकर्ता के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि है, जिसमे वह पुस्तैनी रूप से सन 1975 के पूर्व से निरंतर आज तक काबिज चला आ रहा है।

न्यायालय राज़स्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0–2843/दो/15 जिला–सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश अंजनी/बाबूलाल	
21–10–2015	प्रकरण में आवेदक अभि0 श्री प्रमोद कुमार मिश्रा उपस्थित । उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता एवं स्थगन पर सुना गया । यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग के प्रकरण कमांक–9/निगरानी/2002–2003 में पारित आदेश दिनांक–10.06.15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से वही तर्क प्रस्तुत किए गय, जो निगरानी मेमों में अंकित है । जिन्हें यहां पुनरांकित न किया जाकर उन पर विचार किया जा रहा है । आवेदक द्वारा निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया गया है । आवेदक की ओर से प्रस्तुत निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों के संदर्भ में मेरे द्वारा प्रश्नाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया, एवं प्रकरण में अंकित तथ्यों के संबंध में बारीकी से विचार किया गया।यह प्रकरण मात्र स्थगन आदेश जो कलेक्टर सीधी द्वारा जारी किया गया था, के विरूद्ध प्रस्तुत होना पाया गया है । प्रकरण में जारी स्थगन आदेश दिनांक–19.8.02 आगामी पेशी दिनांक–25.11.02 तक के लिए जारी किया गया था, जिसकी वर्तमान में अवधि समाप्त होकर औचित्य हीन हो चुका है । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में वर्तमान में पूर्व में जारी स्थगन आदेश के संबंध में किसी प्रकार की कार्यवाही करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह गयी है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि प्रकरण में ग्राह्यता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	1